पत्रावली पेश हुई । पेरोकार सरकार उपस्थित। गैरसायल अनुपस्थित। यह इस्तगासा थानाधिकारी राजनगर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक ,राजसमन्द के मार्फत गैरसायल श्री बलवन्त पिता श्री मांगीलाल यादव निवासी यादव मौहल्ला राजनगर पुलिस थाना राजनगर के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया हैं । पत्रावली दिनांक 09.05.2016 को प्रस्तुत कि गई है। प्रस्तुत पत्रावली में थानाधिकारी नाथद्वारा द्वारा आज दिनांक तक गैरसायल को नोटिस तामील नहीं करवाये गये है। प्रकरण दिनांक 09.05.2016 से लम्बित होने एवं गैर सायल द्वारा आज दिनांक तक कोई शान्ति भंग जैसा कृत्य नहीं किया गया है। अतः समाज को गैर सायल से कोई खतरा नहीं है। यदि गैर सायल शान्ति भंग जैसा कार्य करता है तो थानाधिकारी पुनः प्रकरण दर्ज कर प्रस्तुत करे। प्रस्तुत प्रकरण आज दिनांक 24.09. 2018 को ड्रोप किया जाता है। आर्डर शीट की एक प्रति श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक राजसमन्द को भेजी जावे । क्योकि प्रकरण थानाधिकारी नाथद्वारा की लापलवाही के कारण खारिज किया गया है।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

(राकेश कुमार)
अति0जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द